

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी०, मा० प्र० से०  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार  
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 26-07-22

विषय-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्र प्रायोजित योजना - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल 1,64,000 सक्रिय मछुआरों के बीमा (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-Group Janata Personal Accident Policy and Special Contingency Policy Covering Permanent Partial Disability and Hospitalization) हेतु कुल मो० 47.5272 लाख रु० की लागत पर मो० 11.70142 लाख (ग्यारह लाख सत्तर हजार एक सौ बयालीस) रु० मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभागीय राज्यादेश सं० 48 रा० (वि०) दिनांक 29.03.2022 तथा शुद्धि पत्र सं० 319 दिनांक 31.03.2022 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में माँग सं०-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल 1,64,000 सक्रिय मछुआरों के बीमा (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-Group Janata Personal Accident Policy and Special Contingency Policy Covering Permanent Partial Disability and Hospitalization) हेतु कुल मो० 47.5272 लाख रु० की लागत पर मो० 11.70142 लाख (ग्यारह लाख सत्तर हजार एक सौ बयालीस) रु० मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के पत्रांक F.No.J-2801212/1/2020-Fy (WU) दिनांक 30.09.2021 द्वारा संसूचित किया गया है कि Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही Group Accident Insurance Scheme को अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत Insurance of Fisher कम्पोनेंट में समाहित कर दिया गया है।

3. NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/M&E/GAIS/2020-21 दिनांक 07.06.2021 के आलोक में PMMSY के तहत क्रियान्वित की जा रही इस योजना हेतु लागू प्रीमियम का व्यय भार वहन अब केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः 60 : 40 के अनुपात में किया जाएगा। तदनुसार राज्य योजना का प्रीमियम मो० 47,52,720/- रु० मात्र होगा। केन्द्र सरकार राज्यांश के समानुपातिक अपने अंशदान की 60 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय मात्स्यकी विकास बोर्ड (NFDB) हैदराबाद को सीधे प्रेषित करेगी, जो इस योजना की मत्स्य प्रक्षेत्र की नोडल एजेंसी है।

4. इस योजना के अंतर्गत NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/Tech 5/Fisheries Insurance/2018-19 दिनांक 03.09.2020 के आलोक में इस योजना में 18 वर्ष से 70 वर्ष आयु वर्ग के राज्य के वैसे सभी सक्रिय मछुआरा लाभान्वित होंगे जो किसी भी निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति या मत्स्यजीवी स्वावलम्बी समिति के सदस्य हों अथवा जिला स्तर, प्रमण्डल स्तर अथवा राज्य स्तर पर

मत्स्य विभाग से सम्बद्ध मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक, मत्स्य श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, केज मत्स्य मित्र, मत्स्य मित्र हों अथवा मत्स्य पालन से संबंधित संबद्ध गतिविधियों सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों की कोई अन्य क्षेणी हों।

“Insurance to Fishers” योजना NFDB के माध्यम से “Group Janata Personal Accident Policy (GJPA)”-सह-“Special Contingency Policy Covering Permanent Partial Disability and Hospitalization” दो संयुक्त कॉम्पोनेन्ट के रूप में लागू होगी। इस योजना के लिए प्रति मछुआरा प्रति वर्ष प्रीमियम की दरें निम्न प्रकार हैं-

Policy	Description	Coverage	Premium
Policy 1	Group Janata Personal Accident Policy (GJPA) COVERING Death and Permanent Total Disability (PTD)	Death : 100% CSI PTD : 100% CSI	Rs. 68.44/- (GST Not Applicable)
Policy 2	Special Contingency Policy Covering Permanent Partial Disability (PPD) and Hospitalization	PPD: Up to Rs. 2,50,000/- Hospitalization: Rs. 25,000/-	Rs. 4.00/- (Incl. of GST)
<b>Total</b>			<b>Rs. 72.44/-</b>

केन्द्र सरकार का अंशदान प्रतिशत 60 % = 43.46 रु० (लामुकों से कोई अंशदान नहीं लिया जाएगा)  
राज्य सरकार का अंशदान प्रतिशत 40 % = 28.98 रु०

कुल प्रीमियम का भार वहन निम्न प्रकार होगा-

(राशि रु० में)

क्रमांक	प्रीमियम का भार वहन	पॉलिसी का प्रकार	राज्य सरकार का अंशदान	केन्द्र सरकार का अंशदान
1.	केन्द्र सरकार-60 % राज्य सरकार-40 %	1- GJPA 2- Special Contingency Policy	27.38 1.60	41.06 2.40
<b>कुल</b>			<b>28.98</b>	<b>43.46</b>

5. NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/PMMSY/GAIS/2022-23/195 दिनांक 27.04.2022 के आलोक में इस योजना अंतर्गत बीमा कवरेज की प्रथम वर्ष (वित्तीय वर्ष 2021-22) की वार्षिक समयावधि दिनांक 25.07.2022 के मध्य रात्रि को समाप्त हो रही है तथा द्वितीय वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक समयावधि दिनांक 26.07.2022 से 25.07.2023 की मध्य रात्रि तक है।

6. NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/DIV 1/PMMSY/GAIS/2021-22 दिनांक 27.06.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में बीमा प्रीमियम की राज्यांश की राशि मो० 46,36,800/- रु० मात्र दिनांक 26.04.2022 को NFDB - GAIS के बैंक खाते में PFMS के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी, के विरुद्ध दिनांक 25.07.2022 के मध्य रात्रि के पश्चात् मो० 35,82,578/- रु० मात्र अवशेष रहेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,64,000 सक्रिय मछुआरों के बीमा कवरेज हेतु आवश्यक राज्यांश मो० 47,52,720/- (सैंतालीस लाख बावन हजार सात सौ बीस) रु० मात्र होगी। NFDB - GAIS के बैंक खाते की अवशेष राशि मो० 35,82,578/- रु० मात्र का उपयोग इसके विरुद्ध करते हुए देय अवशेष राज्यांश मो० 11,70,142/- (ग्यारह लाख सत्तर हजार एक सौ बयालीस) रु० मात्र होगी।

7. विभिन्न तीन लघु शीर्षवार स्वीकृत बजट उपबंध एवं योजना उद्ब्यय के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत निम्न रूप से राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

मॉग सं०-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली  
पालन-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (लाख रु० में)

क्र०	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन				
1	03-प्रशासनिक व्यय-15-कार्यालय व्यय (केन्द्रांश) 53C24050010177010315	2.40	0.00	2.40
2	03-प्रशासनिक व्यय-17-कार्यालय उपकरण (केन्द्रांश) 53C24050010177010317	6.00	0.00	6.00
3	03-प्रशासनिक व्यय-29-व्यवसायिक सेवाएँ (केन्द्रांश) 53C24050010177010329	10.80	0.00	10.80
4	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649	1712.00	0.00	1712.00
कुल केन्द्रांश		1731.20	0.00	1731.20
5	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649	1140.00	0.00	1140.00
6	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050010177010759	30.00	6.70142	23.29858
कुल राज्यांश		1170.00	6.70142	1163.29858
लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
7	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	376.00	0.00	376.00
कुल केन्द्रांश		376.00	0.00	376.00
8	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	250.00	0.00	250.00
9	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050078977010759	7.00	2.00	5.00
कुल राज्यांश		257.00	2.00	255.00
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना				
10	03-प्रशासनिक व्यय-15-कार्यालय व्यय (केन्द्रांश) 53C24050079677010315	4.20	0.00	4.20
11	03-प्रशासनिक व्यय-17-कार्यालय उपकरण (केन्द्रांश) 53C24050079677010317	6.00	0.00	6.00
12	03-प्रशासनिक व्यय-28-विज्ञापन, प्रचार और प्रसार (केन्द्रांश) 53C24050079677010328	15.40	0.00	15.40
13	03-प्रशासनिक व्यय-29-व्यवसायिक सेवाएँ (केन्द्रांश) 53C24050079677010329	22.20	0.00	22.20
14	04-मोटरगाड़ियाँ/ईंधन-41-मोटर वाहन (केन्द्रांश) 53C24050079677010441	3.00	0.00	3.00
15	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649	902.00	0.00	902.00
कुल केन्द्रांश		952.80	0.00	952.80
16	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	600.00	0.00	600.00
17	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050079677010759	13.00	3.00	10.00
कुल राज्यांश		613.00	3.00	610.00
कुल योग :		5100.00	11.70142	5088.29858

कुल स्वीकृत राशि 11.70142 लाख (ग्यारह लाख सत्तर हजार एक सौ बयालीस) रु० मात्र।

*[Handwritten signatures and marks]*

8. बीमित व्यक्तियों को निम्न प्रकार बीमा लाभ प्राप्त होगा—  
 (क) मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमित को अथवा उनके वैध आश्रित को मो0 5,00,000/- (पाँच लाख) रू0 का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा।  
 (ख) आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में मो0 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रू0 एवं मो0 25,000/- (पच्चीस हजार) रू0 तक का अस्पताल खर्च भुगतान किया जाएगा।  
 (ग) बीमा दावों के निस्तार हेतु NFDB में एक कोषांग का भी गठन किया गया है।

9 (क) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे तथा राशि की निकासी डोरण्डा कोषांगार से की जायेगी। इस योजना के तहत स्वीकृत/आवृत्त राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राशि की विमुक्ति एवं अनुश्रवण हेतु चालू की गई Public Financial Management System (PFMS) की नयी प्रक्रिया को अपनाते हुए PMMSY हेतु नामित SNA के खाते से इस योजना के नोडल एजेंसी NFDB को सीधे अथवा निर्धारित किसी IA के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

NFDB के पत्रांक NFDB/M&E/GAIS/2020-21 दिनांक 23.06.2021 द्वारा उपलब्ध कराया गया बैंक खाते का विवरण निम्न है -

Sl. No.	Particulars	Details
1)	Name of the Bank	Union Bank of India
2)	Name of the Branch	Secretariat Branch, Hyderabad
3)	Account Number	110311010000004
4)	Nature of the Account	Current
5)	Name of the Account Holder	National Fisheries Development Board
6)	IFSC	UBIN0811033
7)	MICR	500026096

(ख) इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

10. पूर्व में चालित केन्द्र प्रायोजित सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना की भाँति ही जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी दावा प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा विहित प्रपत्र में वांछित अनुलग्नों सहित भरे हुए तथा बीमित/वैध आश्रित द्वारा हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा मत्स्य निदेशालय को भेजे जायेंगे। निदेशालय द्वारा इसे नोडल एजेंसी (NFDB) को भेजा जायेगा अथवा NFDB से प्राप्त निदेशों के आलोक में प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

11. जिला मत्स्य पदाधिकारी/दावा प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी, बीमित के बैंक खाते से संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक को बीमित के दुर्घटना/मृत्यु की सूचना ससमय संसूचित करेंगे ताकि किसी एक ही एजेंसी अर्थात् बैंक के माध्यम से अथवा NFDB के माध्यम में से मात्र एक ही दावे का भुगतान बीमित को हो।

12. इस योजना के लिए उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित योजना उद्व्यय तथा बजट-उपबंध के अंतर्गत है।

13. जिलावार, तधु शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

14. जिला मत्स्य कार्यालयों एवं प्रबन्ध निदेशक, झास्कोफिश के द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा ताकि अज्ञानतावश मछुआरे इस योजना के लाभ से वंचित न रहें।

15. मत्स्य निदेशालय/जिला मत्स्य कार्यालयों के द्वारा मछुआरों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के पृथक-पृथक एक पृष्ठ के सूचना पैम्फलेट प्रकाशित कराये जायेंगे, ताकि लक्षित वर्ष के समस्त लोगों को ऐसी योजनाओं की जानकारी दी जा सके।
16. यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक Component के रूप में चालू की गई है तथा इस योजना के अंतर्गत कोई भी राशि अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है।
17. इस योजना पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval & Monitoring Committee - SLAMC) की दिनांक 31.05.2022 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदन प्राप्त है।
18. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-२/आर०-०१-२००५-३०२ दिनांक ११ मार्च, २०१५ के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
19. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक २५६१ दिनांक १७-०४-९८ द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
20. इस योजना का कियान्वयन भारत सरकार एवं नोडल एजेंसी NFDB, हैदराबाद द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।
21. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
22. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट [www.jharkhandfisheries.org](http://www.jharkhandfisheries.org) पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी०)  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक १५ ए०/कि/रॉची, दिनांक २६-०७-२२

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक १५ ए०/कि/रॉची, दिनांक २६-०७-२२

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) तथा सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची/वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS/NFDB, हैदराबाद/योजना विभाग, झारखण्ड, रॉची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, रॉची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2022-23 में माँग सं०-53-मत्स्य-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मछुआरों के बीमा का प्रस्तावित भौतिक (संख्या में) एवं वित्तीय (रूपये में) लक्ष्य

क्र०	जिला का नाम	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना			लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन			कुल भौतिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य	
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य			राज्यांश	केन्द्रांश
			राज्यांश	केन्द्रांश		राज्यांश	केन्द्रांश		राज्यांश	केन्द्रांश			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	रौंकी	1550	44919.00	67363.00	2400	69552.00	104304.00	3050	88385.00	132553.00	7000	202860.00	304220.00
2	सूँटी	600	17388.00	26076.00	1200	34776.00	52152.00	2400	69552.00	104304.00	4200	121716.00	182532.00
3	सुमला	270	7824.60	11734.20	3610	104617.80	156890.60	2720	78825.60	118211.20	6600	191268.00	286836.00
4	सिमडेगा	250	7245.00	10865.00	7760	224884.80	337249.60	490	14200.20	21295.40	8500	246330.00	369410.00
5	लोहरदगा	1000	28980.00	43460.00	1700	49266.00	73882.00	6170	178806.60	268148.20	8870	257052.60	385490.20
6	लातेहार	1450	42021.00	63017.00	4874	141248.52	211824.04	1936	56105.28	84138.56	8260	239374.80	358979.60
7	प० सिंहभूम	205	5940.90	8909.30	2700	78246.00	117342.00	845	24488.10	36723.70	3750	108675.00	162975.00
8	पूर्वी सिंहभूम	500	14490.00	21730.00	800	23184.00	34768.00	740	21445.20	32160.40	2040	59119.20	88658.40
9	सरायकेला	1400	40572.00	60844.00	2500	72450.00	108650.00	8000	231840.00	347680.00	11900	344862.00	517174.00
10	बुमका	1100	31878.00	47806.00	1500	43470.00	65190.00	5800	168084.00	252068.00	8400	243432.00	365064.00
11	जामताड़ा	1050	30429.00	45633.00	1500	43470.00	65190.00	3650	105777.00	158629.00	6200	179676.00	269452.00
12	साहेबगंज	1000	28980.00	43460.00	1500	43470.00	65190.00	3200	92736.00	139072.00	5700	165186.00	247722.00
13	पाकुड़	1523	44136.54	66189.58	1647	47730.06	71578.62	2930	84911.40	127337.80	6100	176778.00	265106.00
14	हजारीबाग	1080	31298.40	46936.80	1000	28980.00	43460.00	5200	150696.00	225992.00	7280	210974.40	316388.80
15	समगढ़	157	4549.86	6823.22	2127	61640.46	92439.42	4516	130873.68	196265.36	6800	197064.00	295528.00
16	कोडरमा	1200	34776.00	52152.00	800	23184.00	34768.00	5500	159390.00	239030.00	7500	217350.00	325950.00
17	चक्रा	700	20286.00	30422.00	800	23184.00	34768.00	4600	133308.00	199916.00	6100	176778.00	265106.00
18	बोकारो	1000	28980.00	43460.00	800	23184.00	34768.00	1680	48686.40	73012.80	3480	100850.40	151240.80
19	गिरिडीह	700	20286.00	30422.00	1000	28980.00	43460.00	6100	176778.00	265106.00	7800	226044.00	338988.00
20	धनबाद	1000	28980.00	43460.00	1200	34776.00	52152.00	4200	121716.00	182532.00	6400	185472.00	278144.00
21	गोड्डा	302	8751.96	13124.92	910	26371.80	39548.60	4588	132960.24	199394.48	5800	168084.00	252068.00
22	पलामू	20	579.60	869.20	0	0.00	0.00	5370	155621.60	233380.20	5390	156202.20	234249.40
23	गढ़वा	414	11997.72	17992.44	422	12229.56	18340.12	6564	190224.72	285271.44	7400	214452.00	321604.00
24	देवघर	1279	37065.42	55585.34	2000	57960.00	86920.00	9251	268093.98	402048.46	12530	363119.40	544553.80
योग:		19750	572355.00	858335.00	44750	1296855.00	1944835.00	99500	2883510.00	4324270.00	164000	4752720.00	7127440.00

राज्यांश कुल मा० 47.5272 लाख (सैंतालीस लाख बावन हजार सात सौ बीस) रु० मात्र

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत्यादेश की कडिका '5' एवं '6' के आलोक में देय अवशेष राज्यांश कुल मा० 11.70142 लाख (ग्यारह लाख सत्तर हजार एक सौ बयालीस) रु० मात्र

(अभुब्रक्कर सिद्धीख 30)  
सरकार के सचिव